

# राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : seaccg@gmail.com

विषय:- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 29/03/2023 को संपन्न 457वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 457वीं बैठक दिनांक 29/03/2023 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
  2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
  3. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
  4. डॉ. मोहम्मद रफीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
  5. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
  6. श्री डी. राहुल वेंकट, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
- समिति द्वारा एजेन्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:-

**एजेन्डा आयटम क्रमांक-1:** 456वीं दिनांक 28/03/2023 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 456वीं दिनांक 28/03/2023 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

**एजेन्डा आयटम क्रमांक-2:** गौण/मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति/ टीओआर /अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स कोसंगा ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी (प्रो.- श्रीमती रीमा जायसवाल), ग्राम-कोसंगा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2301)  
ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 416074/ 2023, दिनांक 06/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण -** यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-कोसंगा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक 449/2,

446/2, 452/1 एवं 452/3, कुल क्षेत्रफल-1.478 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण -**

**(अ) समिति की 457वीं बैठक दिनांक 29/03/2023:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पंकज कुमार जायसवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कोसंगा का दिनांक 23/01/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान, इन्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-रायगढ़ के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1821/ए/ख.लि./स्था./2022 रायगढ़, दिनांक 27/12/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 28/खनिज/खलि.1/2023 अंबिकापुर, दिनांक 11/01/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 29/खनिज/खलि.1/2023 अंबिकापुर, दिनांक 11/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, अस्पताल, वाटर सप्लाई परियोजना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट, दार्शनिक स्थल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भू-स्वामित्व - भूमि खसरा क्रमांक 449/2 एवं 446/2 आवेदक तथा खसरा क्रमांक 452/1 एवं 452/3 श्रीमती गायत्री अग्रवाल के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. श्रीमती रीमा जायसवाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), अंबिकापुर के ज्ञापन क्रमांक 385/खनिज/ख.लि.1/न.क्र.31/2021 अंबिकापुर, दिनांक 16/03/2022 द्वारा जारी की गई, जो एक वर्ष तक की अवधि हेतु वैध थी। एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमंडल, अंबिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2466 अंबिकापुर, दिनांक

26/10/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 5 कि.मी. की दूरी पर है।

10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-कोसंगा 410 मीटर, स्कूल ग्राम-कोसंगा 780 मीटर एवं अस्पताल लखनपुर 3.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 22 कि.मी. दूर है। चौदनी नदी 135 मीटर, मौसमी नाला 60 मीटर, तालाब 800 मीटर एवं नहर 4.65 कि.मी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 29,560 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 27,710 घनमीटर एवं रिकव्हेरेबल रिजर्व 26,324 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 620 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। खदान की संभावित आयु 26 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,053
द्वितीय	1,053
तृतीय	1,053
चतुर्थ	1,053
पंचम	1,053

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 310 नग वृक्षारोपण किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 3,100 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 80,000 रुपये, खाद के लिए राशि 15,500 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 50,000 रुपये, रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,00,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 2,48,600 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 6,62,000 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment	Amount for CER Activities	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)

Rupees)	to be Spent	(in Lakh Rupees)	Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
18.05	2%	0.361	Following activities at, Government Middle School Village- Kosanga	
			Water Tank Installation for drinking water	
			Water tank (1,000 litre)	0.12
			Supply Pipe	
			Pipeline & Installation	
			Running water arrangement in toilet	
			Pipeline, tap, sanitary drain line ware	0.15
			Annual maintenance	
			Donation of Books related to Environment Conservation	
			Books	0.10
Steel Almira				
<b>Total</b>		<b>0.37</b>		

16. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
17. प्रस्तुतीकरण के दौरान लीज क्षेत्र को के.एम.एल. से अवलोकन करने पर लीज क्षेत्र के उत्तर दिशा में लगभग 352 मीटर की दूरी पर चिमनी स्थापित पाया गया है। अतः समिति का मत है कि उक्त दर्शित चिमनी में खदान स्थापित है अथवा नहीं के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा से जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।
18. परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तावित क्षेत्र में केवल मिट्टी उत्खनन का कार्य किये जाने एवं चिमनी स्थापित नहीं किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
19. प्रस्तुतीकरण के दौरान लीज क्षेत्र को के.एम.एल. से अवलोकन करने पर लीज क्षेत्र के निकट 10 मीटर में कच्ची सड़क है। इस संबंध में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त सड़क, निजी भूमि में स्थित है। जो व्यवस्था के तहत आवागमन हेतु बनाया गया है एवं राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत भूमि संबंधी दस्तावेज बी-1 में पटवारी द्वारा अनुमोदित खसरा क्रमांक 446/2 एवं 449/2 को निजी भूमि होने का उल्लेख है।
20. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तावित क्षेत्र में केवल मिट्टी उत्खनन का कार्य किये जाने एवं चिमनी स्थापित नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र को के.एम.एल. से अवलोकन करने पर लीज क्षेत्र के उत्तर दिशा में लगभग 352 मीटर की दूरी पर चिमनी स्थापित पाया गया है। अतः उक्त दर्शित चिमनी में खदान स्थापित अथवा नहीं के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा को पत्र लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा को पत्र लेख किया जाए।

2. मेसर्स अमगासी आर्डिनरी स्टोन माईन (प्रो.- श्रीमती रेणु जायसवाल), ग्राम-अमगासी, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2302)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 417295/2023, दिनांक 07/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-अमगासी, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक-137/29 एवं 1055/2, कुल क्षेत्रफल-1.792 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-16,737 टन (6,198.75 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 457वीं बैठक दिनांक 29/03/2023:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नीरज कुमार जायसवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अमगासी का दिनांक 02/10/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-रायगढ़ के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1819/ए ख.लि./स्था./2022 रायगढ़, दिनांक 27/12/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 30/खनिज/ख.लि.1/2023 अंबिकापुर, दिनांक 11/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 31/खनिज/ख.लि.1/2023 अंबिकापुर, दिनांक 11/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. का विवरण – एल.ओ.आई. श्रीमती रेनु जायसवाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा) जिला-अंबिकापुर के ज्ञापन क्रमांक 815/खनिज/ख.लि.1/न.क्र.33/2021 अंबिकापुर, दिनांक 05/07/2022 द्वारा जारी की गई, जो एक वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
7. भू-स्वामित्व – भूमि खसरा क्रमांक 137/29 श्री बुधू, श्री राम फल, श्री नईहर एवं सुश्री टीना तथा खसरा क्रमांक 1055/2 श्री नोहर दास महंत के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अंबिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./886 अंबिकापुर, दिनांक 18/05/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 7.5 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-अमगासी 475 मीटर, स्कूल ग्राम-अमगासी 600 मीटर एवं अस्पताल लखनपुर 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 980 मीटर एवं राज्यमार्ग 28.6 कि.मी. दूर है। तालाब

700 मीटर, नहर 975 मीटर, मौसमी नाला 1.3 कि.मी. एवं रेहर नदी 2.75 कि.मी. दूर है।

11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,66,112 टन, माईनेबल रिजर्व 1,64,835 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,56,593 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,620 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,075 घनमीटर है, जिसमें से 1,971 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जायेगा तथा शेष ऊपरी मिट्टी एवं ओवर बर्डन को लीज क्षेत्र के बाहर सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 1113, रकबा 0.308 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा। लीज क्षेत्र में ओवर बर्डन की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,075 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। लीज क्षेत्र में क्रशर प्रस्तावित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	16,352
द्वितीय	16,673
तृतीय	16,737
चतुर्थ	16,288
पंचम	16,480

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,116 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 11,160 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,00,000 रुपये, खाद के लिए राशि 55,800 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 50,000 रुपये, रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,00,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 3,16,960 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 8,23,200 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
19.93	2%	0.3986	Following activities at, <b>Village- Amgasi</b>	
			Plantation at Village Pond	0.48
			<b>Total</b>	<b>0.48</b>

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर (आम एवं जामुन) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 20 नग पौधों के लिए राशि 500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,500 रुपये, खाद के लिए राशि 1,000 रुपये तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 8,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 12,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 36,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत अमगासी के अंतर्गत तालाब पर वृक्षारोपण (खसरा क्रमांक 698, क्षेत्रफल 0.591 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर वृक्षारोपण किये जाने बाबत ग्राम पंचायत अमगासी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
18. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।



24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर वृक्षारोपण किये जाने बाबत ग्राम पंचायत अमगासी का सहमति पत्र प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स मरकाडांड ब्रिक्स अर्थ एण्ड किल्व क्वारी (प्रो.- श्री बलदेव प्रसाद जायसवाल), ग्राम-मरकाडांड, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2303)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 416980/ 2023, दिनांक 08/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम-मरकाडांड, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज स्थित खसरा क्रमांक 713/1, 713/2, 721, 722 एवं 714, कुल क्षेत्रफल-2.245 हेक्टेयर में से 1.31 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-712.26 घनमीटर (14,24,520 नग) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 457वीं बैठक दिनांक 29/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री लक्ष्मीकांत जायसवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मरकाडांड का दिनांक 19/08/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. उत्खनन योजना – क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 21/ख.लि./स्था./2023 रायगढ़, दिनांक 10/01/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 60/खनिज/उत्खनि./2023 बलरामपुर, दिनांक 06/02/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 59/खनिज/उत्खनि./2023 बलरामपुर, दिनांक 06/02/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, अस्पताल, वाटर सप्लाई परियोजना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट, दार्शनिक स्थल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भू-स्वामित्व – भूमि खसरा क्रमांक 713/1, 721 श्री नारायण प्रसाद एवं श्री बलदेव प्रसाद, खसरा क्रमांक 713/2 श्री गिरजाशंकर, श्री देवशरण, श्री ईश्वर प्रसाद, सुश्री वंशिका एवं सुश्री शांतिमति, खसरा क्रमांक 722 एवं 714 श्री कौलेश्वर, श्री भुनेश्वर एवं श्री गोविन्द के नाम पर है। उत्खनन हेतु श्री नारायण प्रसाद, श्री ईश्वर प्रसाद एवं श्री कौलेश्वर का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। उत्खनन हेतु अन्य भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
7. एल.ओ.आई. का विवरण – एल.ओ.आई. श्री बलदेव प्रसाद जायसवाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 704/गौण खनिज/उत्खननपट्टा/2022 बलरामपुर, दिनांक 13/12/2022 द्वारा जारी की गई, जो एक वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, वनमंडल बलरामपुर, जिला-बलरामपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2018/7505 बलरामपुर, दिनांक 05/10/2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 500 मीटर की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-मरकाडांड 1.38 कि.मी., स्कूल ग्राम-मरकाडांड 1.38 कि.मी एवं अस्पताल राजपुर 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 8.7 कि.मी. दूर है। महानदी 585 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 26,200 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 21,567 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 548.33 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट

मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 1,225 वर्गमीटर में क्षेत्र ईट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित किया जाएगा, जिसकी फिक्स चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई 35 मीटर प्रस्तावित है। ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फलाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। एक लाख ईट निर्माण हेतु 12 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
प्रथम	712.26	14,24,520
द्वितीय	712.26	14,24,520
तृतीय	712.26	14,24,520
चतुर्थ	712.26	14,24,520
पंचम	712.26	14,24,520

#### आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
षष्ठम	712.26	14,24,520
सप्तम	712.26	14,24,520
अष्टम	712.26	14,24,520
नवम	712.26	14,24,520
दशम	712.26	14,24,520

- जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- वृक्षारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 260 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 19,760 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,21,300 रुपये, खाद के लिए राशि 1,950 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रुपये एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,46,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 4,09,010 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 8,72,432 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
- कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

43	2%	0.86	Following activities at, Village- Markadand	
			Pavitra Van	13.15
			Nirman	
			<b>Total</b>	<b>13.15</b>

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (नीम, आम, करंज, कदम, जामुन, आंवला, अमलतास आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,053 नग पौधों के लिए राशि 80,028 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 62,500 रुपये, खाद के लिए राशि 7,890 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रुपये तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,46,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 4,16,418 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,99,052 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत मरकाडांड के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 168, क्षेत्रफल 0.421 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत सरफेस प्लान अनुसार लीज क्षेत्र के प्रतिबंधित 1 मीटर चौड़ी सीमा के अंदर चिमनी (ब्रिक किल्न) स्थापित होना प्रदर्शित हो रहा है। समिति का मत है कि लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) को छोड़ते हुए चिमनी (ब्रिक किल्न) स्थापित किये जाने बाबत संशोधित सरफेस प्लान अनुमोदित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
17. आवेदित लीज क्षेत्र से 800 मीटर की दूरी में ग्राम/आबादी क्षेत्र एवं 1 कि.मी. की दूरी में कोई चिमनी/किल्न स्थापित है अथवा नहीं? के संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
18. रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकेन ब्रिक्स (Broken bricks) एवं ईट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले से जनित ऐश के उपयोग के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
19. ईट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फ्लाई ऐश के उचित रख-रखाव के लिए टिन शेड का उपयोग किये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. जल की आपूर्ति स्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) को छोड़ते हुए चिमनी (ब्रिक किल्न) स्थापित किये जाने बाबत संशोधित सरफेस प्लान अनुमोदित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
4. जिग-जैग किल्न की स्थापना किये जाने हेतु तकनीकी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
5. आवेदित लीज क्षेत्र से 800 मीटर की दूरी में ग्राम/आबादी क्षेत्र एवं 1 कि.मी. की दूरी में कोई चिमनी/किल्न स्थापित है अथवा नहीं? के संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

6. रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ ब्रोकेन ब्रिक्स (Broken bricks) एवं ईट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले से जनित ऐश के उपयोग के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. ईट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फलाई ऐश के उचित रख-रखाव के लिए टिन शेड का उपयोग किये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत सीमांकन कराकर खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार स्तंभ स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. आवेदित खदान में जिग-जैग पद्धति का चिमनी किल्न प्रतिस्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं कियो जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत जाए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स चंगोरी एण्ड कर्रा लाईम स्टोन माईनिंग क्लस्टर (प्रो.-श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता), ग्राम-चंगोरी, तहसील-लुण्ड्रा, जिला-सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1610)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/सीजी/एमआईएन/61876/2021, दिनांक 15/03/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/सीजी/एमआईएन/416894/2023, दिनांक 09/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-चंगोरी, तहसील-लुण्ड्रा, जिला-सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक 25/36 एवं

25/93, कुल क्षेत्रफल- 1.234 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-5,076.56 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' कटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण -**

**(अ) समिति की 457वीं बैठक दिनांक 29/03/2023:**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण में उपस्थित होकर दिनांक 29/03/2023 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि ऑनलाईन आवेदन किये जाने के दौरान तकनीकी त्रुटि होने से आवेदन में मेसर्स चंगोरी लाईम स्टोन के स्थान पर मेसर्स चंगोरी एण्ड कर्रा लाईम स्टोन का उल्लेख होने के कारण आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया। साथ ही ऑनलाईन नवीन आवेदन किये जाने पर प्राथमिकता के आधार पर आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स चंगोरी एवं कर्रा लाईम स्टोन क्वारी माईन (प्रो.- श्री आदित्य भगत), ग्राम-चंगोरी, तहसील-लुण्ड्रा, जिला-सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1784)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 67085/ 2021, दिनांक 30/08/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 417409/ 2023, दिनांक 09/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

**प्रस्ताव का विवरण -** यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-चंगोरी, तहसील-लुण्ड्रा, जिला-सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक 25/24, कुल क्षेत्रफल-1.374 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-15,435 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' कटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट

क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 457वीं बैठक दिनांक 29/03/2023:**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण में उपस्थित होकर दिनांक 29/03/2023 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि ऑनलाईन आवेदन किये जाने के दौरान तकनीकी त्रुटि होने से आवेदन में मेसर्स चंगोरी लाईम स्टोन के स्थान पर मेसर्स चंगोरी एण्ड कर्रा लाईम स्टोन का उल्लेख होने के कारण आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया। साथ ही ऑनलाईन नवीन आवेदन किये जाने पर प्राथमिकता के आधार पर आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स चंगोरी एण्ड कर्रा लाईम स्टोन माईनिंग क्लस्टर (प्रो.- श्री द्वितेन्द्र कुमार मिश्रा), ग्राम-कर्रा, तहसील-लुण्ड्रा, जिला-सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1607)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/61828/2021, दिनांक 15/03/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/416734/2023, दिनांक 09/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-कर्रा, तहसील-लुण्ड्रा, जिला-सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक 532 एवं 534, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-11,875 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण -**

**(अ) समिति की 457वीं बैठक दिनांक 29/03/2023:**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण में उपस्थित होकर दिनांक 29/03/2023 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि ऑनलाईन आवेदन किये जाने के दौरान तकनीकी त्रुटि होने से आवेदन में मेसर्स कर्रा लाईम स्टोन के स्थान पर मेसर्स चंगोरी एण्ड कर्रा लाईम स्टोन का उल्लेख होने के कारण आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया। साथ ही ऑनलाईन नवीन आवेदन किये जाने पर प्राथमिकता के आधार पर आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स चंगोरी एण्ड कर्रा लाईम स्टोन माईनिंग क्लस्टर (प्रो.-श्रीमती कांति गुप्ता), ग्राम-कर्रा, तहसील-लुण्ड्रा, जिला-सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1700)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 63784/2021, दिनांक 09/06/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/417341/2023, दिनांक 09/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई. आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

**प्रस्ताव का विवरण -** यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-कर्रा, तहसील-लुण्ड्रा, जिला-सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक 679/1, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-10,217.25 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' कटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण -**

**(अ) समिति की 457वीं बैठक दिनांक 29/03/2023:**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण में उपस्थित होकर दिनांक 29/03/2023 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि ऑनलाईन आवेदन किये जाने के दौरान तकनीकी त्रुटि होने से आवेदन में मेसर्स कर्रा लाईम स्टोन के स्थान पर मेसर्स चंगोरी एण्ड कर्रा लाईम स्टोन का उल्लेख होने के कारण आवेदन को वापस लिये जाने का



अनुरोध किया गया। साथ ही ऑनलाईन नवीन आवेदन किये जाने पर प्राथमिकता के आधार पर आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स भोंदना लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री अभिषेक प्रताप सिंहदेव), ग्राम-भोंदना, तहसील-शंकरगढ़, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2305)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 417796/ 2023, दिनांक 11/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-भोंदना, तहसील-शंकरगढ़, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज स्थित खसरा क्रमांक 460, कुल क्षेत्रफल-1.056 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-10,573.5 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 457वीं बैठक दिनांक 29/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विवेक प्रताप सिंहदेव, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का विवरण - इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत भोंदना का दिनांक 14/10/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-रायगढ़ के पृ. ज्ञापन क्रमांक 16-18/ख.लि./स्था./2023 रायगढ़, दिनांक 05/01/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 277/खनिज/उत्खनि./2022 बलरामपुर, दिनांक 20/04/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 276/खनिज/उत्खनि./2022 बलरामपुर, दिनांक 20/04/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - एल.ओ.आई. श्री अभिषेक प्रताप सिंहदेव के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के ज्ञापन क्र. 181/गौण खनिज/उत्खननपट्टा/2022 बलरामपुर, दिनांक 08/03/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
7. भू-स्वामित्व - भूमि खसरा क्रमांक 460 श्री अशोक प्रताप सिंहदेव के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल, बलरामपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2021/969 बलरामपुर, दिनांक 22/02/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 1 कि.मी. की दूरी पर है। परन्तु प्रस्तुतीकरण के दौरान के.एम.एल. से लीज क्षेत्र को देखने पर 40-50 मीटर की दूरी में वन क्षेत्र प्रदर्शित हो रहा है। उक्त के संबंध में समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वनमण्डलाधिकारी से स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है। साथ ही वनमंडलाधिकारी बलरामपुर को इस संबंध में लेख किया जावे।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-भोंदना 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम-भोंदना 2.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। गेओर नदी 173 मीटर दूर है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र से राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़क, लोक निर्माण विभाग की अन्य जिले के सड़क एवं ग्रामीण कच्चे रास्ते से दूरी के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जियोलॉजिकल रिजर्व 1,58,400 टन, माईनेबल रिजर्व 55,650 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 52,867 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,610 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। जैक हैमर

से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	11,130
द्वितीय	11,130
तृतीय	11,130
चतुर्थ	11,130
पंचम	11,130

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाती है। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 771 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 5,220 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 70,000 रुपये, खाद के लिए राशि 3,200 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 12,000 रुपये, रख-रखाव आदि के लिए राशि 36,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 1,26,420 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 1,99,200 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में 150 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है।
17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20	2%	0.40	Following activities at, Village- Bhondna	
			Pavitra Van Nirman	2.988
			<b>Total</b>	<b>2.988</b>

18. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 4,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रुपये, खाद के लिए राशि 3,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 48,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 95,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि

2,03,800 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत भोंदना के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 470 क्षेत्रफल 7.08 हेक्टेयर में से 0.5 हेक्टेयर में) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

19. ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-

1. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वनमण्डलाधिकारी से स्पष्टीकरण मंगाया जाए।
2. लीज क्षेत्र से राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़क, लोक निर्माण विभाग की अन्य जिले के सड़क एवं ग्रामीण कच्चे रास्ते से दूरी के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
4. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर को पत्र लेख किया जाए।

9. मेसर्स वर्मा मटेरियल सप्लायर (प्रो.- श्री परसराम वर्मा, मुढीपार लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम-मुढीपार, तहसील-बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2307)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 418085/2023, दिनांक 13/02/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-मुढीपार, तहसील-बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक-264(पार्ट), 265(पार्ट), 272(पार्ट), 261/1(पार्ट), 267, 270/1, 270/2, 271/1, 266/1, 266/2, 273/1, 273/2, 273/3 एवं 273/4, कुल क्षेत्रफल-1.079 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-46,867.47 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 457वीं बैठक दिनांक 29/03/2023::

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री परसराम वर्मा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक-264(पार्ट), 265(पार्ट), 272(पार्ट), 261/1(पार्ट), 267, 270/1, 270/2, 271/1, 266/1, 266/2, 273/1, 273/2, 273/3 एवं 273/4, कुल क्षेत्रफल-1.079 हेक्टेयर, क्षमता-47,511.27 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा दिनांक 23/01/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 22/01/2023 तक वैध है।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 22/01/2024 तक वैध होगी।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 637/न.क्र./तीन-6/ख.प./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 10/10/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2018-19	6,200
2019-20	7,100
2020-21	12,750
2021-22	26,900

समिति का मत है कि दिनांक 01/04/2022 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत भद्रपाली का दिनांक 26/12/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्खनन योजना - स्कीम ऑफ क्वारी प्लान एलॉग विथ माईन क्लोजर प्लान विथ इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्र. 6426/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.08/2021(3) नवा रायपुर, दिनांक 16/12/2021 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 216/ख.लि./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 02/03/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, क्षेत्रफल 1,069.53 हेक्टेयर है।
- 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 216/ख.लि./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 02/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
- भूमि एवं लीज का विवरण - भूमि एवं लीज मेसर्स वर्मा मटेरियल सप्लायर, प्रो. -श्री परसराम वर्मा के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 01/02/2018 से 31/01/2048 तक की अवधि हेतु वैध है।
- डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
- वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-मुढीपार 300 मीटर एवं स्कूल ग्राम-मुढीपार 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि. मी. दूर है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र से राज्यमार्ग एवं प्रधानमंत्री ग्राम

सड़क योजना/मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़क से दूरी के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 5,04,933 टन, माईनेबल रिजर्व 2,87,087 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 2,72,733 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,953.87 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 8 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं वर्तमान में इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	46,867.47
द्वितीय	34,965.00
तृतीय	30,918.75
चतुर्थ	33,127.50
पंचम	32,752.50

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति स्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 700 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,953.87 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से कुछ भाग लगभग 9 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वॉरी प्लान में नहीं किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाए। साथ ही उक्त का उल्लेख अनुमोदित क्वॉरी प्लान में करते हुए संशोधित अनुमोदित क्वॉरी प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order

to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 216/ख.लि./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 02/03/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, क्षेत्रफल 1,069.53 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-मुढीपार) का रकबा 1.079 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-मुढीपार) को मिलाकर कुल रकबा 1,070.609 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
3. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
4. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा



अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

- i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
- iii. Project proponent shall submit production detail from 01/04/2022 to till date from the mining department.
- iv. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- v. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- vi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- ix. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xi. Project proponent shall submit the NOC from DFO forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.
- xii. Project proponent shall submit certificate regarding distance from lease area to state highway & PMGSY/ MGSY road.
- xiii. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xvi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development

of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the revised mining plan & remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

- xvii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xviii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

10. मेसर्स ऋषभ मिनरल्स (प्रो.- श्री उत्तम सिंह, खुर्सीपार लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम-खुर्सीपार, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव (वर्तमान में जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई) (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2308)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 418092/2023, दिनांक 14/02/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-खुर्सीपार, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव (वर्तमान में जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई) स्थित खसरा क्रमांक - 26/1, 28, 29, 30/2 एवं 30/3, कुल क्षेत्रफल-1.599 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-75,000 टन (30,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 457वीं बैठक दिनांक 29/03/2023::

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री खेमसिंह राजपुत, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत घोठिया का दिनांक 06/07/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान एलॉग विथ इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.प्र.)

संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 2219/खनि 02/मा.प्ल. अनुमोदन/न.क्र.05/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 29/04/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई के ज्ञापन क्रमांक 12/ख.लि. 02/2023 राजनांदगांव, दिनांक 03/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 4.162 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई के ज्ञापन क्रमांक 12/ख.लि. 02/2023 राजनांदगांव, दिनांक 03/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. का विवरण – एल.ओ.आई. मेसर्स ऋषभ मिनरल्स के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 396/ख.लि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 25/02/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 1 वर्ष हेतु वैध थी। तत्पश्चात् संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 1822/खनि 02/उ.प. –अनु.निष्ठा./न.क्र.50/2017(4) नवा रायपुर, दिनांक 06/03/2023 द्वारा जारी पत्र अनुसार "छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में जारी संशोधित अधिसूचना दिनांक 26/06/2020 (प्रकाशन दिनांक 30/06/2020) के नियम 42 के उप-नियम (5) परन्तु के तहत संचालक को प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुये, प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं उत्खनिपट्टा स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया जाता है।" का उल्लेख है।
7. भू-स्वामित्व – भूमि श्रीमती कुमारी सिंह के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, वन मण्डल खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./न.क्र.25(पार्ट-2)/2541 खैरागढ़, दिनांक 31/08/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 8 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-खुर्सीपार 840 मीटर, निकटतम स्कूल ग्राम-खुर्सीपार 1 कि.मी. एवं अस्पताल खैरागढ़ 8 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.7 कि.मी. दूर है। आमनेर नदी 6 कि.मी. एवं नाला 60 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 11,99,250 टन, माईनेबल रिजर्व 3,97,665 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 3,77,780 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,450 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 11,500 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 6 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	75,000
द्वितीय	75,000
तृतीय	75,000
चतुर्थ	75,000
पंचम	75,000

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,100 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
17. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिस्सर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

23. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई के ज्ञापन क्रमांक 12/ख.लि. 02/2023 राजनांदगांव, दिनांक 03/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 4.162 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-खुर्सीपार) का रकबा 1.599 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-खुर्सीपार) को मिलाकर कुल रकबा 5.761 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

- vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- vii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- ix. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- x. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xi. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स बेरलाकला ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी (प्रो.- श्री दयाराम यादव), ग्राम-बेरलाकला, तहसील-बेरला, जिला-बेमेतरा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2116)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 81033/ 2022, दिनांक 27/07/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बेरलाकला, तहसील-बेरला, जिला-बेमेतरा स्थित खसरा क्रमांक 591/1, 591/2, 591/3, 591/4, 591/5, 597, 598/1, 598/2, 598/3, 598/4, 599, 601, 600/1, 600/3, 603, 609/1, 609/2, 612, 614/1, 614/2, 616, 617, 611, 613, 610 एवं 602 कुल क्षेत्रफल-4.47 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-2,500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 434वीं बैठक दिनांक 18/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दयाराम यादव, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित लीज क्षेत्र में केवल मिट्टी

उत्खनन का कार्य किया जाएगा एवं चिमनी स्थापित नहीं की जाएगी। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष फॉर्म में त्रुटि सुधार करने हेतु ऑनलाईन में ए.डी.एस. जारी करने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को फॉर्म में त्रुटि सुधार करने एवं चिमनी को हटाते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान ऑनलाईन में प्रस्तुत करने हेतु ए.डी.एस. (Additional Document Shortcoming) जारी करने के पश्चात् वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/01/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 02/02/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

**(ब) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 09/02/2023:**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित लीज क्षेत्र में केवल मिट्टी उत्खनन का कार्य किये जाने बाबत् चिमनी को हटाते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(स) समिति की 457वीं बैठक दिनांक 29/03/2023:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दयाराम यादव, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बेरलाकला का दिनांक 02/11/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - मॉडिफाईड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रशा.), जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 850/खनि/मिट्टी उ. यो./2022 बिलासपुर, दिनांक 13/06/2022 द्वारा अनुमोदित है। तत्पश्चात् उप संचालक (ख.प्रशा.), जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 2529/खनि/मिट्टी उ. यो./2022 बिलासपुर, दिनांक 29/12/2022 अनुसार पूर्व में अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये चिमनी के स्थान पर कच्चे ईंटों के भण्डार तथा कच्चे ईंटों को पकाने के लिए लीज क्षेत्र से लगी हुई स्वीकृत अन्य लीज में स्थित चिमनी का प्रयोग किये जाने बाबत् संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान जारी किया गया है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला-बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 151/खनि.लिपि/2022 बेमेतरा, दिनांक 31/05/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 11.049 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन

खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला-बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 150/खनि.लिपि./2022 बेमेतरा, दिनांक 31/05/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में 2 खदानें होने का उल्लेख है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, अस्पताल, वाटर सप्लाई परियोजना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट, दार्शनिक स्थल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी हेतु कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला-बेमेतरा में आवेदन किया गया है। समिति का मत है कि उक्त प्रमाण पत्र फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
6. भू-स्वामित्व – भूमि खसरा क्रमांक 591/1, 591/2, 591/3, 591/4, 597, 598/1, 598/2, 598/3, 598/4, 599, 601, 600/1, 600/3, 603, 609/1, 609/2, 612, 614/1, 614/2, 616 एवं 617 श्रीमती रेखा यदु एवं शेष खसरा आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. एल.ओ.आई. का विवरण – एल.ओ.आई. श्री दयाराम यादव के नाम पर है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला-बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 698/खनि. लिपि./20178 बेमेतरा, दिनांक 23/08/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत न्यायालय संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 27/2019 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 27/04/2022 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, अधिसूचना दिनांक 26/06/2020 (छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 30/06/2020) के अनुसार छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(5) परन्तु के तहत उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरांत उत्खनन पट्टा स्वीकृति के लिए नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु अतिरिक्त समायावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला-बेमेतरा को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।



9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय संयुक्त वनमण्डलाधिकारी, बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक/400, दिनांक 17/04/2018 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-बेरलाकला 810 मीटर, स्कूल ग्राम-बेरलाकला 810 मीटर एवं अस्पताल ग्राम-बेरलाकला 810 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 22 कि.मी. दूर है। खारून नदी 750 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 89,400 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 73,095 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,046 वर्गमीटर है। मिट्टी के भण्डारण हेतु 3,284 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर ईट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित नहीं किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 31 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	2,500
द्वितीय	2,500
तृतीय	2,500
चतुर्थ	2,500
पंचम	2,500

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. गैर माईनिंग क्षेत्र – रॉ-मटेरियल हेतु 3,284 वर्गमीटर क्षेत्र एवं कच्चे ईट के भण्डारण हेतु 3,590 वर्गमीटर क्षेत्र क्षेत्र को अर्थात् इस प्रकार कुल 6,874 वर्गमीटर क्षेत्र को लीज क्षेत्र में गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।
15. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 400 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।
16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 01 दिसम्बर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 06/12/2022 को सूचना दी गई थी।
17. कच्चे ईटों को पकाने के लिए लीज क्षेत्र से लगी हुई स्वीकृत श्रीमती रेखा यदु के लीज में स्थित चिमनी का प्रयोग किये जाने बाबत श्रीमती रेखा यदु सहमति

पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का भी शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा उत्खनित मिट्टी से बनाये गये कच्चे ईंटों को पकाने के लिए उनकी पत्नी श्रीमती रेखा यदु के लीज में स्थित चिमनी का प्रयोग किया जाएगा।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित खदान की लीज सीमा से लगी हुई श्री अभिनित उपाध्याय एवं श्रीमती रेखा यदु के खदान लीज क्षेत्र को ले-आउट प्लान में दर्शाते हुये के.एम.एल. फाईल प्रस्तुत किया गया है।
19. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
  - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
  - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला-बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 151/खनि. लिपि/2022 बेमेतरा, दिनांक 31/05/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 11.049 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-बेरलाकला) का रकबा 4.47 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-बेरलाकला) को मिलाकर कुल रकबा 15.519 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-
  - i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
  - ii. Project proponent shall submit the certificate from Mining Department regarding important structure (Bridge, Anicut, Temple, Dam, Canal etc.) within 200 meter radius from the proposed mine.
  - iii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.

- iv. Project proponent shall submit the details of water requirement along with its source and shall also submit a copy of NOC for usage of water from competent authority.
- v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- viii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xiii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 1 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xiv. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xv. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

*Rli*

*D*

12. मेसर्स बेरलाकला ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी (प्रो.- श्री अभिनीत उपाध्याय), ग्राम-बेरलाकला, तहसील-बेरला, जिला-बेमेतरा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2117)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 81229/2022, दिनांक 27/07/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बेरलाकला, तहसील-बेरला, जिला-बेमेतरा, स्थित खसरा क्रमांक 614/3, 615, 639/1, 639/2, 640, 641/1, 641/2, 641/3, 644, 678, 695/3, 695/5 एवं 695/11, कुल क्षेत्रफल-2.2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 3,350 घनमीटर प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 434वीं बैठक दिनांक 18/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अभिनीत उपाध्याय, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित लीज क्षेत्र में केवल मिट्टी उत्खनन का कार्य किया जाएगा एवं चिमनी स्थापित नहीं की जाएगी। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष फॉर्म में त्रुटि सुधार करने हेतु ऑनलाईन में ए.डी.एस. जारी करने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को फॉर्म में त्रुटि सुधार करने एवं चिमनी को हटाते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान ऑनलाईन में प्रस्तुत करने हेतु ए.डी.एस. (Additional Document Shortcoming) जारी करने के पश्चात् वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/01/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 02/02/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 09/02/2023:

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित लीज क्षेत्र में केवल मिट्टी उत्खनन का कार्य किये जाने बाबत चिमनी को हटाते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 457वीं बैठक दिनांक 29/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अभिनीत उपाध्याय, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बेरलाकला का दिनांक 02/11/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - मॉडिफाईड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रशा.), जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 848/ खनि/ मिट्टी उ.यो./2022 बिलासपुर, दिनांक 13/06/2022 द्वारा अनुमोदित है। तत्पश्चात् उप संचालक (ख.प्रशा.), जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 2530/खनि/मिट्टी उ.यो./2022 बिलासपुर, दिनांक 29/12/2022 अनुसार पूर्व में अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये चिमनी के स्थान पर कच्चे ईंटों के भण्डार तथा कच्चे ईंटों को पकाने के लिए लीज क्षेत्र से लगी हुई स्वीकृत अन्य लीज में स्थित चिमनी का प्रयोग किये जाने बाबत संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान जारी किया गया है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला-बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 154/खनि.लिपि/2019 बेमेतरा, दिनांक 30/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 11.049 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए - कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला-बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 153/खनि.लिपि./2022 बेमेतरा, दिनांक 31/05/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में 2 खदानें होने का उल्लेख है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, अस्पताल, वाटर सप्लाई परियोजना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट, दार्शनिक स्थल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है अथवा नहीं के संबंध में जानकारी हेतु कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला-बेमेतरा में आवेदन किया गया है। समिति का मत है कि उक्त प्रमाण पत्र फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
6. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - एल.ओ.आई. श्री अभिनीत उपाध्याय के नाम पर है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बेमेतरा के पृ. ज्ञापन क्रमांक 697/खनि. लिपि/2018 बेमेतरा, दिनांक 22/08/2018 द्वारा जारी की

गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। तदोपरांत संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 3361/खनि02/उ.प.-अनु.निष्ठा./न.क्र. 50/2017 अटल नगर, दिनांक 29/06/2019 द्वारा जारी पत्र अनुसार एल.ओ.आई. की वैधता दिनांक 20/09/2019 तक की गई थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत न्यायालय संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 26/2019 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 27/04/2022 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, अधिसूचना दिनांक 26/06/2020 (छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 30/06/2020) के अनुसार छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(5) परन्तु के तहत उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरांत उत्खनन पट्टा स्वीकृति के लिए नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु अतिरिक्त समायावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला-बेमेतरा को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।

7. भू-स्वामित्व - भूमि खसरा क्रमांक 615, 639/1, 641/1 श्रीमती मधु उपाध्याय एवं शेष खसरा आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय संयुक्त वनमण्डलाधिकारी, बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक/399, दिनांक 17/04/2018 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-बेरलाकला 503 मीटर, स्कूल ग्राम-बेरलाकला 730 मीटर कि.मी. एवं अस्पताल गुढेली 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 8 कि.मी. दूर है। खारुन नदी 750 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जियोलॉजिकल रिजर्व 42,344 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 33,839 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 872 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर ईट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। खदान की संभावित आयु 11 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	3,350

द्वितीय	3,350
तृतीय	3,350
चतुर्थ	3,350
पंचम	3,350

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. गैर माईनिंग क्षेत्र – रॉ-मटेरियल हेतु 597 वर्गमीटर क्षेत्र, कच्चे ईट के भण्डारण हेतु 2,187 वर्गमीटर क्षेत्र एवं सड़क हेतु 405 वर्गमीटर क्षेत्र को अर्थात् इस प्रकार कुल 3,189 वर्गमीटर क्षेत्र को लीज क्षेत्र में गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।
15. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 360 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।
16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 01 दिसम्बर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 06/12/2022 को सूचना दी गई थी।
17. कच्चे ईटों को पकाने के लिए लीज क्षेत्र से लगी हुई स्वीकृत श्रीमती किरण बाला उपाध्याय के लीज में स्थित चिमनी का प्रयोग किये जाने बाबत श्रीमती किरण बाला उपाध्याय सहमति पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का भी शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा उत्खनित मिट्टी से बनाये गये कच्चे ईटों को पकाने के लिए उनकी माता श्रीमती किरण बाला के लीज में स्थित चिमनी का प्रयोग किया जाएगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित खदान की लीज सीमा से लगी हुई श्री दयाराम यादव एवं श्रीमती किरण बाला उपाध्याय के खदान लीज क्षेत्र को ले-आउट प्लान में दर्शाते हुये के.एम.एल. फाईल प्रस्तुत किया गया है।
19. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला-बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 154/खनि. लिपि/2019 बेमेतरा, दिनांक 30/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 11.049 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-बेरलाकला) का रकबा 2.2 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-बेरलाकला) को मिलाकर कुल रकबा 13.249 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल

5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

- i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- ii. Project proponent shall submit the certificate from Mining Department regarding important structure (Bridge, Anicut, Temple, Dam, Canal etc.) within 200 meter radius from the proposed mine.
- iii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.
- iv. Project proponent shall submit the details of water requirement along with its source and shall also submit a copy of NOC for usage of water from competent authority.
- v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- viii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 1 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years.



Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.


- xiii. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

  
(डी. राहुल वेंकट)  
सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति  
छत्तीसगढ़

  
(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति  
छत्तीसगढ़